राजभाषा विभाग

ड्यूटी को पूरा करने केलिए निर्धारित मानदंड

1. बैंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अगेजी पाठ के साथ ही प्रकाशित करने के लिए अनुवाद उपलब्ध कराना.
2. ससदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना.
3. राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसरण में बैंक द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना.
4. प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करना.
5. भारत सरकार द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के तहत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय सीमा के अनुसार पूरा करना.

राजभाषा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं:

- केन्द्रीय कार्यालय के सभी विभाग तथा रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालय.
- सरकारी क्षेत्र के बैंक (डीबीओडी के माध्यम से)

क्रियाकलाप

1. भारत सरकार के राजभाषा विभाग से प्राप्त राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि के बारे में नीति विषयक सुझावों और सवैधानिक प्रावधानो के बारे में जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिनिश्चित करना.
2. वार्षिक रिपोर्ट, साविधिक रिपोर्टों, बुलेटिनों, न्यूजलैटरों, मैन्युअलों, सहिताओं और अन्य क्रियाविधि परक साहित्य तथा फार्मों आदि का अनुवाद.
3. अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने और अगेजी-हिन्दी अनुवाद का प्रशिक्षण प्रदान करना.
4. द्विभाषी कम्प्यूटरों और यांत्रिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

5. विभागीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन और इस समिति की बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना.
6. राजभाषा सम्मेलन/सेमिनार का आयोजन.
7. हिन्दी में कार्य करने केलिए प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना.
8. राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वास्तिविक उलब्धियों के आधार पर वार्षिकआकलन रिपोर्ट तैयार करना.
9. केन्द्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से सूचना का सक लन करना और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय विभागों कानिरीक्षण करना.
10. ससदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों पर राष्ट्रपति के आदेशों के बारे में भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित क रना.
11. बैंकिंग शब्दावली तथा इसी प्रकार की संदर्भ सामगी तैयार करना तथा प्रचार-प्रसार करना.
12. बैंकिंग केबारे में एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन करना.
13. राजभाषा सम्बन्धी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाना.